**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1192

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**ईएसएमए के तहत शिक्षकों की सेवाओं को लाया जाना**

1192. श्रीमती शांता छत्रीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के शिक्षकों ने मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) पर परिपत्रों के जरिए उनके लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों की सेवाओं को आवश्यक सेवा अधिनियम (ईएसएमए) के तहत लाने का परिपत्र जारी किया है;

(घ) क्या इन निकायों के शिक्षक इसे अकादमिक समुदायों, बौद्धिक स्वायतता पर प्रतिबंध और स्वतंत्र विचारशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन के रूप में ले रहे हैं; और (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ङ): यूजीसी द्वारा परीक्षा सेवाओं में हड़तालों पर रोक लगाने के उद्देश्‍य से परीक्षा/शिक्षण/अधिगम/मूल्‍यांकन को आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ईएसएमए) के अंतर्गत लाने सहित आज के संदर्भ में दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय अधिनियम की एकरूपता और औचित्‍य के परिप्रेक्ष्‍य का अध्‍ययन करने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था। तथापि, बाद में इस प्रस्‍ताव को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

**\*\*\*\*\***